आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0(अ0उ0)4515–01–1264/2025 - 3126 /पटना, दिनांक– 29.08.2025

प्रेषक,

संजय कुमार, भा0प्र0से0
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 103–सामान्य मद् के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0121–मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत् होने वाले व्यय की राशि के लिये कुल 06 (छः) पथों का घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 103–सामान्य मद् के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष –0121–मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये कुल 06 (छः) पथों का घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

क्रम सं0	जिला	कार्य प्रमण्डल	प्रखण्ड	योजना का नाम	विभागीय रूप से कराये गये कार्य की लम्बाई (कि0मी0)	कुल प्राक्कलित राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	Rohtas	Bikramganj	Bikramganj	Mohini Durga Mandir To Bal More Nahar Tak	0.725	76.20700
2	Gaya	Gaya	Sadar Gaya	Kewali Bara RCD Road To Murkatta Village	1.300	64.36400
3	Gaya	Gaya	Sadar Gaya	L063-Kathotiya More To Kathihari Ghal (VR63)	1.683	62.50800
4	Gaya	Gaya	Sadar Gaya	L080-Shohan Bigha Gutiya Road To Paharpur (Track 80)	2.050	78.81900
5	Gaya	Gaya	Tankuppa	L038-Ginjoe Road To Bhetaura (VR38)	2.530	56.86800
6	Siwan	Siwan-1	Pachrukkhi	NH 531, Mansingh tola road to Jurihata Tak road	0.445	94.00000
				Total	8.733	432.766

2. मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 103 – सामान्य मद् के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष –0121–मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अधीन 1998.41 करोड़ रुपये का बजट उपबंध है। दिनांक 08.05.2025 को संपन्न लोक वित्त समिति के बैठक में निर्धारित Bank of Sanction (BOS) की अधिसीमा के अतिरिक्त 14626.07 करोड़ रू0 क्षांत किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रस्तावित कुल 06 (छः) पथों के घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान की जाने वाली कुल राशि रू0 432.766 लाख निर्धारित Bank of Sanction (BOS) की अधिसीमा के अधीन है।

3. संबंधित कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमण्डल योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।

CamScanner

4. सारणी में अंकित 06 योजनाओं का विभागीय रूप से कार्य सम्पन्न संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
5. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या– मु0अ0(अ0उ0)4515–01–1264/2025, दिनांक 14.08.2025 को प्राप्त है।
6. सारणी में अंकित 06 योजनाओं का विभागीय रूप से कार्य सम्पन्न कराने हेतु घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार अपर मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या– मु0अ0(अ0उ0)4515–01–1264/2025 में दिनांक 26.08.2025 को अनुमोदन प्राप्त है।
7. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
8. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
10. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
11. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।
12. वित्त विभाग के संकल्प सं0–12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
14. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
15. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।
17. वित्त विभाग के संकल्प सं0–12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका–17 के आलोक में संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।

CamScanner

18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– मु0अ0(अ0उ0)4515–01–1264/2025 के पृ0– /टि0 पर दिनांक– को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

29/8/25

(संजय कुमार)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– मु0अ0(अ0उ0)4515–01 –1264/2025 - 3126 /पटना, दिनांक– 29.08.2025

प्रतिलिपि–संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/8/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– मु0अ0(अ0उ0)4515–01 –1264/2025 - 3126 /पटना, दिनांक– 29.08.2025

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित उप विकास आयुक्त /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/8/25

संयुक्त सचिव।

CamScanner